कार्यालय निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–प–135 / एन.पी.एस. / जनरल / 2011 / 2666 – 2716 दिनांक :– 11.9.12

परिपत्र

विषय :– ट्रस्टी बैंक को इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से राशि हस्तान्तरण करने बाबत्।

विभागीय परिपत्र संख्या–1 दिनांक 12.04.2012 एवं पत्रांक 387–435 दिनांक 24.04.2012 के द्वारा कर्मचारियों के अंशदान (निजी एवं राजकीय) की राशि ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देश पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा 01 मई 2012 के पश्चात् राशि हस्तान्तरण की नई व्यवस्था लागू करने एवं SBBJ बैंक की इन्टरनेट बैंकिंग साईट पर Remark Column में 26 करेक्टर का प्रावधान नहीं होने के कारण जारी किये गये थे। SBBJ बैंक द्वारा वर्तमान में इन्टरनेट बैंकिंग साईट को Remark Column में उपरोक्त प्रावधान कर दिया गया हैं एवं ट्रस्टी बैंक द्वारा भी इन्टरनेट बैंकिंग से प्राप्त हस्तान्तरण के आधार पर राशि स्वीकार की जा रही हैं।

अतः सभी जिला कार्यालयों को निर्देश जारी किये जाते हैं कि भविष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित ट्रस्टी बैंक को किये जाने वाले समस्त हस्तान्तरण इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही किये जायें।

इन्टरनेट बैंकिंग हेतु निम्न निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायें :–

1. सभी जिला कार्यालय बैंक शाखा से जिला कार्यालय द्वारा नवीन पेंशन योजना हेतु संधारित चालू खाते में इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु निर्धारित फार्म C-9 भरें और बैंकिंग कोड़ और कॉरपोरेट आई.डी. प्राप्त करें।
2. फार्म भरते समय एडमिनिस्ट्रेटर / यूजर दोनों के लिए अलग–अलग कोड़ प्राप्त करें।
3. इन्टरनेट बैंकिंग की एडमिनिस्ट्रेटर आई.डी. से बैंक मैनेजर से ही Beneficiary अर्थात् ट्रस्टी बैंक, जिन्हे अंशदान हस्तान्तरित करना हैं कि समस्त सूचना इन्टरनेट बैंकिंग में Add करवायें। ट्रस्टी बैंक की सूचना निम्नानुसार हैं :–
   खाता संख्या– 012210110003286 (15 Digits)
   IFSC Code – BKID 0000122 (11 Digits)
   Bank of India, Bandra Kurla Complex, Branch Mumbai.
   E-Mail npsfund@bankofindia.co.in
4. समस्त संयुक्त निदेशकों (सम्भाग कार्यालय) को निर्देशित किया जाता हैं कि वे अधीनस्थ जिला कार्यालयों में इन्टरनेट बैंकिंग की एडमिनिस्ट्रेटर आई.डी. प्राप्त करें और जाँच करे कि सम्बन्धित खातें में Third Party के स्थान पर बैंक ऑफ इण्ड़िया की सूचना सही रूप से भरी गयी हैं। सूचना सही होने पर एडमिनिस्ट्रेटर का कोड़ बदल कर अपने पास सुरक्षित रखेगें। इससे जिला कार्यालय के पास केवल User Rights ही रहेगें।
5. जिला कार्यालय एस.सी.एफ. अपलोड़ करने के पश्चात् ट्रांजेक्शन आई.डी. की जाँच एन.एस.डी.एल. एनपीस्केन से करें। सफल अपलोड एस.सी.एफ. एनपीस्केन पर एक से दो घण्टे में प्रदर्शित हो जाती हैं।

6. सफल एस.सी.एफ. अपलोड़ होने के पश्चात् जिला कार्यालय द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रस्टी बैंक को राशि हस्तान्तरित की जाना आवश्यक हैं। राशि हस्तान्तरण में यह सुनिश्चित करें कि :–

   (अ) रिमार्क कॉलम में 26 संख्या का कोड़ सही रूप से भरा जायें। इस कोड़ में <PAOFIN >DTO code<Transaction Id> भरा जाना हैं।

   (ब) एस.सी.एफ. की राशि और हस्तान्तरित राशि में कोई भी अन्तर नहीं होना चाहिए। राशि में अन्तर होने पर हस्तान्तरित राशि ट्रस्टी बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।

   (स) राशि हस्तान्तरण के पश्चात् T+2 दिवस में एस.सी.एफ. सिस्टम में मैच एण्ड़ बुक हो जाती हैं।

   (द) एस.सी.एफ. अपलोड होने के 15 कार्य दिवस में अगर राशि हस्तान्तरित नहीं की जाती हैं, तो एस.सी.एफ. सिस्टम द्वारा Delete कर दी जाती हैं। अतः सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि एस.सी.एफ. अपलोड होने के पश्चात् ट्रांजेक्शन आई.डी. के अनुसार निर्धारित राशि सही 26 संख्यक कोड़ के साथ इन्टरनेट बैंकिंग से हस्तान्तरित हो जायें।

   (य) राशि हस्तान्तरण के तीन दिवस पश्चात् यदि एस.सी.एफ. मैच एण्ड़ बुक न हो और हस्तान्तरित राशि भी पुनः खातें में प्राप्त न हो तो जिला कार्यालय द्वारा ई–मेल से मुख्यालय एवं सी.आर.ए. को इसकी सूचना शीघ्र प्रेषित की जानी चाहिए।

7. वर्तमान में SBBJ बैंक द्वारा प्रत्येक हस्तान्तरण पर कमीशन शुल्क लगाया जा रहा हैं। इस हस्तान्तरण को निःशुल्क करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंक को निर्देशित कर दिया गया हैं। कार्यवाही में एक माह का समय लगने की सम्भावना हैं। बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया गया हैं कि इस माह में जो भी शुल्क बैंक द्वारा लिया जायेंगा अथवा पूर्व किसी इन्टरनेट बैंकिंग पर लिया गया हैं, उसे सम्बन्धित खातों में पुनः क्रेडिट कर दिया जायेंगा।

   निःशुल्क व्यवस्था लागू होने से पूर्व प्रत्येक हस्तान्तरण पर जो भी शुल्क बैंक द्वारा लिया जायें, उसकी सूचना UTR नम्बर के साथ मुख्यालय को प्रेषित करें। ताकि इकजाई सूचना बनाकर बैंक को राशि लौटाने के लिए भिजवायी जा सकें।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

निदेशक

क्रमांकः–प–135 / एन.पी.एस. / जनरल / 2011 / 2666-2716 दिनांक :– 11.9.12

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) बीमा / पेंशन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (सम्भाग) ....
3. उप / सहायक निदेशक, जिला कार्यालय ....
4. ~~एसीपी~~, मुख्यालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक